न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–194/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00203)

1. भगवान सहाय पुत्र प्रेमा,
2. सांवल्या पुत्र गणेश,
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारसा,
4. श्रीचन्द पुत्र ग्यारसा, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चक भगलाई तहसील दौसा जिला दौसा।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत श्यालावास जरिये सरपंच पंचायत समिति लवाण तहसील नांगल राजावतान तहसील दौसा जिला दौसा।
2. तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति लवाण जिला दौसा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत श्यालावास पंचायत समिति दौसा की अनापत्ति के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 8404 दिनांक 20.12.2010 एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 617 दिनांक 28.12.2010 के द्वारा ग्राम चक भगलाई तहसील दौसा स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 6.14 हैक्टयर में से 0.20 हैक्टयर भूमि शमशान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपने आदेश क्रमांक आर 11 जी पी (9) 2011/1021 दिनांक 14.02.2011 के जरिये ग्राम चक भगलाई तहसील दौसा स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 6.14 में से 0.20 हैक्टयर भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 7 तथा संशोधित के अन्तरण में चारागाह से खारिज करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक शमशान हेतु सेट अपार्ट किया जाकर गैर मुमकिन शमशान दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये है। इसकी जानकारी प्रभावित व्यक्तियों को दिनांक 04.04.2015 को होने के बाद कानूनी सलाह मशवरा कर अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा का आदेश दिनांक 14.02.2011 न्याय, नियम, प्रक्रिया के विरूद्ध होने के गर्ज से चलने योग्य नही है व काबिले खारिज है। ग्राम पंचायत श्यालावास आबादी मौजा जयसिंहपुरा के वाशिन्देगण का पुश्तैनी शमशान खसरा नम्बर 521 रकबा 0.84 हैक्टयर में स्थित है। साथ ही हाल में आ बासे जयसिंहपुरा के वादीगण तन मौजा चक भगलाई अपने मृतकगण को दाह संस्कार हेतु पुश्तैनी शमशान खसरा नम्बर 523 में ही अंतिम संस्कार करते है, खसरा नम्बर 521 में स्थित शमशान करीब एक दो मील से ज्यादा दूर नही है। रामसिंहपुरा ग्राम से जाकर बसे चक भगलाई के लोगों का शमशान राजसिंहपुरा में ही हैं। दोनों गांवों के लोगों को ही शमशान हेतु चक भगलाई में भूमि की आवश्यकता नही रही है। ग्राम पंचायत द्वारा लिखाया गया प्रस्ताव दिनांक 05.05.2010 प्रस्ताव संख्या 1 क्रम संख्या 4 पर ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लिखा जाकर बताया गया है, वह कतई गलत है क्योंकि जिस जगह शमशान प्रस्तावित किया गया है और भूमि सेट अपार्ट करके दी गई है, वह स्थान गैर मुमकिन तालाई सदीयों से बनी हुई है। यहॉ पर बारह महीनों पानी भरा रहता है। सरकार की ओर से तलाई खुदाई पर लाखों रूपये खर्चा किये गये है। तलाई का कुछ भाग रामसिंहपुरा में दक्षिण में स्थित है। प्रस्ताव एक तरफा झूॅठा व गलत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा की गई जॉच में जयसिंहपुरा में 3 किलोमीटर दूरी का प्रस्ताव बनाया गया है, पटवारी हल्का द्वारा कतई झूॅठी रिपोर्ट की गई है। तहसीलदार व उपखड अधिकारी द्वारा बिना मौका देखे व रिपोर्ट सही नही ली जाकर अनुशंषा की गई है, जो कि मौके की स्थिति से विरूद्ध है जो चारागाह भूमि को खारिज करते हुए की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के मन्डेटरी प्रावधान के विरूद्ध एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित रूलिंग की पालना के विपिरित जिला कलक्टर दौसा द्वारा सार्वजनिक नोटिस निकाले बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि चारागाह भूमि आवंटन के लिये प्रतिबंधित श्रेणी में आती है फिर भी यदि चारागाह भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित किया जाता है तो उस चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जानी कानूनन आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रकरण में आवंटित चारागाह भूमि की कोई क्षतिपूर्ति नही की गई, जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2011 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 ने कथन किया है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा उक्त भूमि शमशान हेतु आवंटन बाबत प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं ग्राम पंचायत व उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार की अनापत्ति पर ही आदेश दिनांक 14.02.2011 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त संभाग आयुक्त
जयपुर

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रस्ताव भिजवाने एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2011 द्वारा चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 6.14 हैक्टयर में 0.20 हैक्टयर भूमि की किस्म परिवर्तन कर शमशान हेतु आवंटित किया गया है किन्तु आवंटित भूमि जल भराव क्षेत्र में है अथवा नही, आवंटन से जल प्रवाह बाधित होता है अथवा नही, बाबत कोई परीक्षण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रकरण में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात पत्रावली के संलग्न नही पाये गये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरणों में पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में भी कोई विवेचना किया जाना पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2011 रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।